राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2024–25 / 17665-17935 दिनांक : 24/10/24

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका (समस्त),
राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराये जाने बाबत।

प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक क्रमशः 15136–15409 दिनांक 30.08.2024, पत्रांक 21509–748 दिनांक 03.10.2023, पत्रांक 38514 दिनांक 16.01.2024 एवं पत्रांक 2414–15 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अनुमोदित दिशा–निर्देशिका (Guideline) के बिन्दु संख्या 15 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा करवाये जाने का प्रावधान है। ऐसे नगरीय निकाय जहां वित्त समिति का गठन नहीं किया गया है वह नगरीय निकाय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 की उपधारा (5) अंतर्गत निकाय स्तर से **वित्त समिति गठन हेतु प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी निदेशालय** को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे राज्य सरकार स्तर से वित्तीय समिति गठन हेतु कार्यवाही की जा सके एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) किया जा सके।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक,(IRGY)

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U) / 2024–25 / 17936-18007 दिनांकः 24/10/2024
प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY), समस्त राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार / संयुक्त निदेशक (IT), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि संबंधित नगरीय निकायों जहां पर वित्त समिति गठन नहीं हुआ है उनसे समिति गठन का पूर्ण प्रस्ताव राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 की उपधारा (5) के अनुसार बनवाकर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी निदेशालय को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।
8. स्टेट एम.आई.एस मैनेजर (IRGY) को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत।
9. सुरक्षित पत्रावली

(सूरजमल वर्मा)
उप–परियोजना निदेशक,(IRGY)

RajKaj Ref
11284073

Signature valid
Digitally signed by Arun Vyas
Designation : Chief Engineer
Date: 2024.10.21 1?:08:45 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2024–25 / 15136-15409 दिनांक : 30/08/2024

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराये जाने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 21509–748 दिनांक 03.10.2023, 38514 दिनांक 16.01.2024 एवं 2414–15 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अनुमोदित दिशा–निर्देशिका (Guideline) के बिन्दु संख्या 15 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा करवाये जाने का प्रावधान है। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के अन्तराल में एक बार आवश्यक रूप से किया जाना है। योजनान्तर्गत करवाये गये / करवाये जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही है, जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से नगरीय निकायों को पूर्व में अवगत करवाया जा चुका है।

अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि 09.09.2022 से 31.03.2023 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक करवाये गये / प्रगतिरत समस्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नियमानुसार वित्त समिति के द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करावें। समिति द्वारा किये गये सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की PDF/SOFT प्रति परियोजना निदेशक (IRGY), निदेशालय को जरिये ई–मेल irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2024–25 / 15410-15530 दिनांकः 30/08/2024

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY), समस्त राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके सम्भाग की नगरीय निकायों जिसमें उक्त वर्णित अधिनियम के अन्तर्गत वित्त समिति का गठन नहीं हुआ है उनके प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. आयुक्त, नोडल नगरीय निकाय एवं सदस्य सचिव (जिला स्तरीय समिति), समस्त राजस्थान।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (IRGY)

RajKaj Ref
10145079

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Director
Date: 2024.08.30 17:38:51 IST
Reason: Approved

15

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 21509 – 748 दिनांक : 03/10/2023

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अनुमोदित दिशा–निर्देशिका (Guide line) के बिन्दु संख्या 15 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा कराये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के अन्तराल में एक वार आवश्यक रूप से किया जाना है। योजनान्तर्गत करवाये गये / करवाये जा रहे कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना योजनान्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही है।

सामाजिक अंकेक्षण के लिये वार्डो में निकायों एवं लाईन विभाग के द्वारा करवाये गये / कराये जा रहे कार्यो का विस्तृत विवरण वित्त समिति की बैठक के दौरान आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। निकाय स्तर पर वरिष्ठतम अभियंता के द्वारा वित्त समिति की बैठक के दौरान प्रत्येक कार्य की अलग–अलग पत्रावली जिसमें कार्य से संबंधित निम्न दस्तावेजों को सम्मिलित कर पत्रावली के साथ उपस्थित रहेंगेः–

1. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना अनुसार कार्यो की सुची मय अनुमानित लागत।
2. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति।
3. विस्तृत तकमीना (मय आवश्यक वास्तविक श्रम व सामग्री की गणना) की प्रति।
4. तकनीकी स्वीकृति की प्रति।
5. संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति (यदि कोई प्राप्त की गई हो)।
6. संशोधित तकनीकी स्वीकृति की प्रति (यदि कोई प्राप्त की गई हो)।
7. मस्टरोल की प्रतियां।
8. माप पुस्तिका की प्रति मय मूल्यांकन रिपोर्ट।
9. समस्त बिल वाउचर्स की प्रतियां।
10. उपयोगिता प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र (फोटो सहित)
11. अन्य कोई शिकायत / आपत्ति आदि का विवरण एवं नगरीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही की पत्रावली।
12. कार्य के संबंध में निकाय के सक्षम प्रशासनिक, तकनीकी अधिकारी एवं लेखाधिकारी द्वारा विभागीय पत्रांक 2354 दिनांक 22.02.2023 एवं पत्रांक 11367–11606 दिनांक 01.05.2023 की पालना रिपोर्ट (प्रति संलग्न)।

वित्त समिति के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों / अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण को अंकित किया जाकर संबंधित आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी के द्वारा सुरक्षित पत्रावली में संधारित किया जावेगा तथा वित्त समिति को अंकित कमियों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अनुपालना रिपोर्ट, वित्त समिति को प्रस्तुत करेंगे।

अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि 09.09.2023 से 31.03.2023 एवं 01.04.2023 से 30.09.2023 तक कराये गये / प्रगतिरत / पूर्ण कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण वित्त समिति के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करावें। समिति द्वारा किये गये सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति (PDF / SOFT) परियोजना निदेशक (IRGY) को ई–मेल : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 21749 – 21812 दिनांकः 03/10/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक (IRGY) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY) समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को भिजवाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (IRGY)

(13)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफोन – 0141-2227403 ई-मेल – dlbrajasthan@gmail.com

वेबसाइट – www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

No. F.6( )ACCTT/FA/DLB/IRGY /23-24/ 38514 Date: 16-01-24

आयुक्त/अधिषाशी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान

विषयः–इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण (SOCIAL AUDIT) कराये जाने एवं रिकार्ड संधारण करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत अनुमोदित दिशा–निर्देशिका (GUIDE LINE) के बिन्दु संख्या 15 में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना (IRGY-URBAN) का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा (55) की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा कराये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के अन्तराल में एक बार आवश्यक रूप से किया जाना है। योजनान्तर्गत करवाये गये/करवाये जा रहे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना योजनान्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही है।

अतः नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि सामाजिक अंकेक्षण दल को मांग के अनुरूप निम्नानुसार रिकार्ड उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें।

1. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली।
2. विस्तृत तकमिना एवं तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली।
3. माप पुस्तिका ।
4. मस्टरोल की प्रतियां।
5. भुगतान किये गये बिलों की पत्रावली।
6. वार्षिक कार्य योजना की पत्रावली।
7. उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र।

([illegible] मोहन)
वित्तीय सलाहकार
स्वायत्त शासन विभाग
जयपुर

No. F.6( )ACCTT/FA/DLB/IRGY /23-24/ Date:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपनिदेशक क्षेत्रिय कार्यालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 2414-15 दिनांक : 15/03/2024

1. आयुक्त,
नगर निगम, कोटा (उत्तर)।

2. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, अजीतगढ़ राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने के संबंध में।

प्रसंगः–1. आपका कार्यालय पत्रांक ननिको(उ) / निर्माण / 2023 / 14403–404 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में।
2. आपका कार्यालय पत्रांक न.पा.अजी. / 2023–24 / 1722 दिनांक 02.02.2024 के क्रम में।

संदर्भः–1. विभागीय समसंख्यक पत्रांक :एफ 56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 21509–748 दिनांक 03.10.2023
2. विभागीय समसंख्यक पत्रांक DLB/IRGY/2023-2024/38514 दिनांक 16.01.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के संबंध में लेख है कि आपके नगरीय निकाय में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करवाये जाने हेतु विभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी है। निकाय में वित्त समिति गठित नहीं होने की स्थिति में समिति गठन प्रस्ताव धारा 55 अन्तर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, निदेशालय को प्रेषित करवाये जा सकते हैं।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 2416-2423 दिनांकः 15/03/2024

प्रतिलिपीः–
1. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, कोटा / झुंझुनू, राजस्थान।
2. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके सम्भाग की अन्य नगरीय निकायों जिसमें उक्त वर्णित अधिनियम के अन्तर्गत वित्त समिति का गठन नहीं हो पाया है उनके प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner